अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन-संविधान पर 'कुठाराघात'

संसद का पिछला सत्र तीन दिनों तक भारतीय संविधान की गौरवमयी परंपराओं व इतिहास पर चर्चा के साथ शुरू हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे संविधान में परिभाषित लोकतांत्रिक मूल्यों की जमकर तारीफ की एवं संविधान में बताए गए रास्ते पर चलने के लिए अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया।

दुख तो इस बात का है कि सरकार का यह संकल्प बिल्कुल खोखला निकला। इस बात को दो महीने भी नहीं बीते कि केन्द्र सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत अरुणाचल प्रदेश में न केवल संविधान का गला घोंट दिया, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का क्रूर मजाक उड़ाया। विडम्बना तो इस बात की है कि अरुणाचल प्रदेश में सत्ता की लड़ाई का यह घिनौना खेल किसी और दिन नहीं, बल्कि उस दिन खेला गया जब पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था।

रणदीप सिंह सुरजेवाला

राज्य में यह संकट अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, जे.पी. राजखोवा की शकुनि सरीखी चालबाजी के कारण पैदा हुआ, जो 56 प्रतिशत से अधिक वोट लेकर बनी कांग्रेस सरकार को गैर-संवैधानिक तरीके से गिराना चाहते थे। संविधान के आदर्शों एवं गवर्नर कार्यालय की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाते हुए गवर्नर ने पहले तो विधानसभा सत्र को निर्धारित तारीख से पहले बुलाने की एकछत्रवादी अधिसूचना जारी कर दी और फिर विधानसभा अध्यक्ष तक को हटाने का एकतरफा निर्णय ले लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी काम में गवर्नर ने संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए न तो मुख्यमंत्री की सलाह ली और न ही मंत्रिमंडल की। इसके बाद तो हद ही हो गई, जब गवर्नर ने सारे नियमों को ताक पर रखकर आपातकाल की घोषणा भी कर डाली।

नियमों को तोड़ने की इस खींचतान के बीच गवर्नर की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जाने से पहले ही मीडिया में गुपचुप तरीके से लीक कर दी गई। इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि या तो गृह मंत्रालय के पास थी या फिर स्वयं गवर्नर के पास। यदि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति भी इस तरह की पक्षपातपूर्ण हरकत करेंगे तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? खासतौर से तब, जब पूरा मामला देश की सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शायद केन्द्र की भाजपा सरकार चुनावों में हो रही लगातार हार और अपनी खोती हुई लोकप्रियता से बौखलाकर बिना सोचे-समझे कदम उठा रही है लेकिन कारण कोई भी हो, दो बातें तो बिल्कुल साफ हैं :

पहली, गवर्नर के द्वारा नियमों को तोड़कर उठाए गए गैर-कानूनी कदम चिन्ताजनक हैं। इससे साफ होता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य हर कीमत पर प्रदेश की पूर्ण जनादेश वाली कांग्रेस सरकार को गिराना था। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके द्वारा उनका यह फैसला उचित ठहराया जा सके। यह साफ है कि उन्होंने पक्षपात के चलते यह कदम उठाया। इस निर्णय के लिए गवर्नर की लगातार निन्दा हो रही है। विशेषतया, संविधान की धारा 175 में गवर्नर की सीमित शक्तियों का नाजायज व खुलेआम उल्लंघन किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले 'भारत सरकार बनाम वल्लूरी बासवईया चौधरी' में स्पष्ट तौर से उल्लेखित है। इनकी परवाह न करते हुए गवर्नर ने पूर्णतया भाजपाई एजैंडा लागू करने में अपनी दंडवत् निष्ठा का परिचय दिया।

दूसरी, इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई है, जो संविधान के भक्त कम और भाजपाई भक्त ज्यादा हैं। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अशुभ संकेत है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने गवर्नर के प्रतिष्ठित पद की गरिमा को त्यागकर केवल केन्द्रीय सरकार के संकीर्ण राजनीतिक एजैंडे को लागू करने का कुत्सित प्रयास किया, यह, संघीय ढांचे के प्रति, मोदी सरकार की छोटी मानसिकता का जीता-जागता सबूत है।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के लगभग 20 महीने में बहुत कुछ बदल गया है।

अब यह स्पष्ट है कि वे अपने द्वारा किए गए बड़े-बड़े वायदों में से एक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। इससे भी बुरी और न माफ किए जाने वाली बात तो यह है कि संवैधानिक संस्थानों को निर्दयता से कुचला जा रहा है। अब यह साफ है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 'संघीय ढांचे का सम्मान' व 'टीम इंडिया में राज्यों की बराबर हिस्सेदारी' जैसी बातें मात्र कोरे जुमले बन गई हैं।

लेकिन, आदरणीय मोदी जी की एक बात बिल्कुल सही है : हमारा संविधान एवं संवैधानिक संस्थान बहुत मजबूत हैं एवं वे किसी कीमत पर सत्ता लोलुप सरकार के हाथों की कठपुतली नहीं बन पाएंगे। आज जो इतिहास लिखा जा रहा है, वह न तो संवैधानिक है और न ही भारतीय परंपराओं की परिपाटी पर खरा उतरने वाला। आज फिर देश के शासकों को आत्ममंथन की आवश्यकता है कि कहीं सत्ता की अंधी दौड़ में वे संविधान पर कुठाराघात तो नहीं कर रहे। rssurjewala@gmail.com